न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS
राजस्व अपील सं0 08/2022 (GCMS 2022/1)

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. नारायणसिंह पुत्र तुलछसिंह 2. हरिसिंह पुत्र तुलछसिंह सर्वे जातियान राजपूत निवासीयान जसकरणपुर (बडोड़ा गांव) तहसील व जिला जैसलमेर।		1. सरदारसिंह पुत्र जवारसिंह के कायम मुकामः– 1/1 समद कंवर बेवा सरदारसिंह 1/2 गोपालसिंह पुत्र सरदारसिंह 1/3 प्रयागसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी बड़ोडा गांव तहसील व जिला जैसलमेर। 2. सवाईसिंह पुत्र नखतसिंह जाति राजपूत निवासी जसकरणपूर (बडोड़ा गांव) तहसील व जिला जैसलमेर। 3. कल्याणसिंह पुत्र नखतसिंह जाति राजपूत निवासी जसकरणपूर (बडोड़ा गांव) तहसील व जिला जैसलमेर। 4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर।

उपस्थित :

1. श्री मोहम्मद अली अधिवक्ता अपीलांटगण
2. श्री बसीर मोहम्मद अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 03
3. ना. तहसीलदार (पैरोकार राज)

–::निर्णय::–

दिनांकः 09.06.2026

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध तहसीलदार जैसलमेर द्वारा ग्राम जसकरणपूर तहसील जैसलमेर में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 18.05.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 के द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर में वर्ष 2007 में इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों की समरी खसरा संख्या 115, 116, 117 में रकबा 86–05 बीघा, 34–10 बीघा एवं 46–00 बीघा कुल 116 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी में दर्ज है एवं कब्जा काश्त की रही है। नियमति बंदोबस्त के दौरान उक्त भूमि खसरा संख्या 761 रकबा 42 बीघा, खसरा संख्या 763 रकबा 15–15 बीघा तथा खसरा संख्या 729 रकबा 25–18 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज की जाकर रकबा 83–02 बीघा भूमि कम दर्ज की गई, जो ग्राम जसकरणपूर के खसरा संख्या 759 में रकबा 37–02 बीघा एवं खसरा संख्या 766 में 46–00 बीघा में अवस्थित है, अतः उक्त भूमि खातेदारी घोषित की जावें। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31.01.2011 को उक्त वाद खारिज किया गया तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर रेस्पोडेण्ट को ग्राम जसकरणपूर के खसरा संख्या 759 रकबा 37–2 बीघा, खसरा संख्या 766 रकबा 46–00 बीघा कुल रकबा 87–02 बीघा का खातेदार घोषित किया। जिसका नामान्तकरण तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 18.05.2011 स्वीकृत कर खसरा संख्या 759/1204, 766/1205 रकबा क्रमशः 37–02 बीघा, 46–00 बीघा कुल रकबा 83–02 राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि रेस्पोडेण्टगण द्वारा न्यायालय सहायक

जिला कलक्टर
जैसलमेर

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर में समरी में दर्ज नाडावाला खेत के हाल खसरा संख्या 766 रकबा 46 बीघा होना दर्शित किया गया है जबकि उक्त नाडावाला खेत मौके अनुसार खसरा संख्या 766 से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खसरा संख्या 766 डूंगरीवाला क्षेत्र है। खसरा नम्बर 766 पर रेस्पोडेण्टगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही उक्त भूमि समरी खसरा संख्या का भाग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर के निर्णय दिनांक 24.08.2012 के अनुसर बिना मौके की जॉच कर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा संख्या 766 में करीबन 30–35 मकानात बने हुए और गांव वासियों के रहवास है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही यहां कभी खेती की गई है। अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 18.05.2017 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत् अपील खारिज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2012 की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचारधीन है। उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर न्यायालय का वक्त जाया करने के उद्येश्य मात्र से उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। समान पक्षकारों का समान विवादग्रस्त भूमि के संबधं में प्रकण न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने से अपील अपीलांट को खारिज किया जावें।

रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अपीलांट की अपील उप सम्मन होने से खारिज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट सरदारसिंह पुत्र जवारसिंह की मृत्यू दिनांक 17.07.2020 को होने के बाद दिनांक 21.12.2021 को अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। जिसकी अपीलांट को जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेण्ट के का.मु को रेकर्ड पर लेने बाबत् 90 दिवस की अवधि में कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही न्यायालय को कोई सूचना में प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेण्ट द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त अपील उप सम्मन (ऐबेट) होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा खारिज किये जाने के बाद न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैंप जैसलमेर में प्रस्तुत अपील को न्यायालय द्वारा स्वीकार करने के पश्चात् तहसीलदार जैसलमेर द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में अपील विचाराधीन रहते हुए नामान्तकरण स्वीकृत करवाया गया है, जो गलत रूप से तथ्यों को छुपाकर स्वीकृत करवाया गया है। उक्त खसरा संख्या 766 में अपीलांट व गांववासियों के 30–35 मकानात एवं सरकारी योजनाओं से हादियॉ, टांके आदि बने हुए है जिनका उपयोग एवं उपभोग उक्त भूमि पर निवासरत लोग करते आ रहें है। राजस्व मण्डल, राजस्थान में विचाराधीन उक्त अपील की जानकारी अपीलांट को होने के पश्चात् अपीलांट द्वारा पक्षकार बनने की कार्यवाही की गई है, जो लंबित है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर रेस्पोडेण्ट सरदारसिंह पुत्र तुलछसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया है। जिसका रेस्पोडेण्टगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट की मृत्यु की सूचना देने के उपरान्त अपीलांट द्वारा 90 दिवस की समयावधि के पश्चात् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS

राजस्व अपील सं0 08/2022 (GCMS 2022/1)

जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों को सुना गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेण्ट के विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर रेकर्ड पर लिया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की प्रथम बार जानकारी होने तथा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद अपील अंदर म्याद पेश है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण संख्या 260 जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर द्वारा अपील संख्या 26/2012 अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2012 के आधार पर खोला गया है। उक्त मूल आदेश को रेस्पोडेण्ट संख्या 04 तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में चुनौती दी गई है। जिसके संबंध में अपील डिक्री संख्या 10255/2012 अनवान सरकार बनाम सरदारसिंह वगैरा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में बहस स्टेज पर विचाराधीन है। कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल आदेश अस्तित्व में रहता है तब तक उस आदेश के अनुसरण में खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने से कोई उपादेय परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हस्तगत नामान्तकरण में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य नामान्तकरण यथावत रखा जाता है।** उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर